प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

5 days "TOT for Police Officers at Police Station Reception Centers"

(For Asst. Sub-Inspector to Police Inspector)

दिनांक 05-07-2021 से 09-07-2021

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 05-07-2021 से 09-07-2021 "TOT for Police Officers at Police Station Reception Centers" विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस हॉल नं. 04 में आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा, आईपीएस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 32 प्रतिभागियों जिसमें 10 पुलिस निरीक्षक, 15 उप निरीक्षक, 07 सहायक उप निरीक्षक ने भाग लिया।

दिनांक 05-07-2021, 10:00-10:30 AM तक पंजीकरण एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय दिया गया। प्रथम दिन के प्रथम सत्र में प्रो0 डॉ0 अनिल मेहता, मैनेजमेन्ट एक्सपर्ट ने सेवा के रूप में संवाद सुनने की कला – पुलिस सेवा प्रदाता के रूप में पर व्याक्ष्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्रीमती रेणु सिंह, दिशा एनजीओ ने वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगो से व्यवहार – विशिष्ठ देखभाल के पहलू पर व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री अशोक गुप्ता, आईपीएस, DIGP, PMW राजस्थान, जयपुर ने अपराधों की प्रकृति, विभिन्न प्रकार की शिकायतें एवं उन पर त्वरित कार्यवाही हेतु तैयारी एवं जिम्मेदारी पर अपना व्याख्यान दिया।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में श्री सुनिल पूनियां, पुलिस निरीक्षक (सेवानिवृत्त) ने स्वागत कक्ष एवं रिकॉर्ड प्रबन्धन पर विस्तार से चर्चा की। द्वितीय सत्र में श्रीमती सुनिता मीणा, अति पुलिस उपायुक्त, जयपुर ने आवश्यक सूचनाओं व सेवाओं की जानकारी, विभिन्न हेल्प लाईन नम्बर, वन स्टॉप क्राइसिस सेन्टर, सामुदायिक पुलिसिंग तथा राजस्थान पुलिस की विभिन्न योजनाऐं विधिक सहायता, पीडित प्रतिकर योजना पर व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री जगदीश सचदेवा, आईएएस, (सेवानिवृत्त) ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं राजस्थान लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2011 के प्रावधान पर विस्तार से अपना व्याख्यान दिया।

तृतीय दिन के प्रथम सत्र में श्री धमेंन्द्र भटनागर, आईएएस, (सेवानिवृत्त) ने सामन्जस्य से सुगमता समाधान हेतु उत्तरदायी संस्था तक पहुंच एवं सहयोग पर विस्तार से चर्चा की। द्वितीय सत्र में श्रीमती दीपाली पाठक, मेडिकल जूरिष्ट ने घायल व्यक्तियों से व्यवहार–कानूनी प्रावधान एवं त्वरित कार्यवाही पर व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री कैलाश चन्द्र, डीआईजी, आरपीए ने नकारात्मक पुलिस संवाद के उदाहरण एवं उनके सुधारात्मक विकल्प (विभिन्न केस स्टडी) पर विस्तार से चर्चा की।

चतुर्थ दिन के प्रथम सत्र में श्री धीरज वर्मा**,** पुलिस निरीक्षक**,** आरपीए ने पीडित महिलाओं तथा बालकों से व्यवहार–कानूनी प्रावधान एवं व्यवहार संबंधी अपेक्षाऐं पर अपना व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री पुष्पेन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, सीआईडी, (सीबी) ने प्रभिागियों द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का मंचन, समीक्षा तथा विचार विमर्श पर व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री गिरधारी लाल शर्मा, आईजीपी, (सेवानिवृत्त) ने रिसेप्शन डेस्क पर सूचना प्रबन्धन एवं आदान प्रदान के तरीके पर विस्तार से चर्चा की।

अंतिम दिन के प्रथम सत्र में प्रो0 रमेश अरोडा, चेयरमैन मैनेजमेन्ट डवलपमेंट अकादमी**,** जयपुर ने प्रभावी संवाद व संप्रेषण–केस स्टडीज पर व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में प्रो0 नवीन माथूर, पूर्व प्राचार्य, राजस्थान कॉलेज, जयपुर ने प्रभावी पेशेवर संवाद पर चर्चा की। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम सत्र में 03:15 पीएम पर श्रीमान निदेशक महोदय**,** आरपीए पधारे। निदेशक महोदय ने प्रतिभागियों से विचार-विमर्श किया। प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। कोर्स निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।